(सत्यप्रतिलिपि)

<u>न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0</u>

(आदेश दिनांक 05/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 256/20
आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली धमतरी
अपराध कमांक 514/20,
धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट

कालेश्वर रजक पिता सुभाष रजक, उम्र लगभग 19 वर्ष,
निवासी रामसागर पारा पटेल बाड़ी धमतरी, तहसील
व जिला धमतरी, छ0ग0.....................................**आ<u>वेदक/अभियुक्त</u>**

—<u>विरूद्ध</u>—

छ0ग0 राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली धमतरी,
जिला धमतरी छ0ग0....................................**अनावेदक<u>/अभियोजन</u>**

05-11-2020 मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो–14–01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो–12–08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह जमानत याचिका संबंधित थाना की केसडायरी सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री अजय सोनवानी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री एस0के0रंगारी, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क वी0सी0 के माध्यम से सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/ अभियुक्त ने प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पिता सुभाष रजक ने शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त अपने मित्रों के साथ मोटर सायकल में घुम रहा था जिसे यातायात पुलिस के द्वारा रोका गया इसी बात को लेकर पुलिस वालों के साथ थोड़ी कहासुनी हो गयी थी जिस कारण पुलिस वालों के द्वारा उसके विरूद्ध झूठा प्रकरण बनवाया है। उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है वर्तमान में कोविड 19 के चलते प्रकरण के अन्वेषण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना है। वह दर्शित पते का स्थायी निवासी है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने को तैयार है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक/शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

डायरी के अनुसार आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध घटना दिनांक को अपने हाथ में एक स्टील की धारदार बंटची स्प्रिंग युक्त चाकू को लेकर हवा में लहराते हुये लोगों को आम स्थान बालक चौक धमतरी में डराते धमकाने का अभियोग है। रिपोर्ट पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 514/2020, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

जमानत आवेदन पर विचार किया गया। यद्यपि अपराध अजमानतीय है तथापि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः डायरी के साथ संकलित साक्ष्य, वर्तमान कोविड 19 की परिस्थिति एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट हो रहा है। अतएव आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय के संतुष्टि योग्य 25,000रूपये का एक सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित न करने एवं सदाचार बनाये रखने, किसी प्रकार की अपराध की पुनरावृत्ति न करने की शर्त पर प्रस्तुत करे तो उसे उक्त प्रकरण में रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जावे तथा संबंधितों को भी भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–1. संबंधित न्यायालय को ईमेल के माध्यम से प्रेषित। **02**. संबंधित थाना को संबंधित केसडायरी सहित सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित। **03.** अपर लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/–
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी,छ0ग0